International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 3, May 2022 |

भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां एवं समाधान

Dr. Pooja Varun

Assistant Professor, Political Science, S.D.Govt. College, Beawar, Ajmer, Rajasthan, India

सार

वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में भारत एक महान एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु इसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं एवं चुनौतियां पैदा हो गई हैं। इन समस्याओं में सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, अपराधिकरण, क्षेत्रीय भिन्नतांए, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, जसंख्या वृद्धि आदि मुख्य हैं। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता तब तक भारत संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है और न ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। लोकतंत्र के समक्ष निरक्षरता, गरीबी, कट्टरता, जातिवाद, साम्प्रदायिकता आदि को खत्म करने की चुनौतियां हैं। गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, कम साक्षरता दर, अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी भारत के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त है, जो राष्ट्रीय प्रगति में बाधा है। समाज में जाति और लैंगिक भेदभाव जारी है, जिससे उन्नति और विकास धीमा हो रहा है। भारत का लोकतंत्र निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण और हिंसा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक साक्षरता पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में निरक्षरता को खत्म करना अभी भी मुश्किल है।

- निरक्षरता: अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकता है। यह समस्या देश के साथ आजादी के समय से है।
- गरीबी: बढती गरीबी की समस्या, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए यह जरुरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी गरीबी के बीच की खाई कम से कम हो।
- साम्प्रदायिकता: साम्प्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग केवल अपने हितों को साधने के कारण, लोकतंत्र की परवाह नहीं करते। वह धार्मिक समुदाय के रूप में बंट जाता है।
- जातिवाद: अनादी काल से भारत में जातिगत व्यवस्था रही है। जातिवाद के कारण दो समाज के लोग खुद को दुसरे से अलग मानते हैं और लोकतंत्र सशक्त नहीं हो पाता।

लोकतंत्र के बारे में अधिक जानकारी

समय के साथ, लोकतंत्र की अवधारणा महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। लोकतंत्र का पहला रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। लोकतंत्र का सबसे आम प्रकार आज एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें नागरिक अपनी ओर से शासन करने के लिए सरकारी अधिकारियों का चुनाव करते हैं, जैसे कि संसदीय या राष्ट्रपति लोकतंत्र में।

नागरिकता, शासित की सहमति, मतदान का अधिकार, अन्यायपूर्ण सरकार से मुक्ति, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना, और अल्पसंख्यक अधिकार ये सभी लोकतंत्र के स्तंभ हैं।

परिचय

लोकतंत्र को गरीबी, कट्टरता, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि जैसे मुद्दों के उन्मूलन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत का अधिकांश भाग गरीबी, खराब स्वास्थ्य देखभाल, कम साक्षरता दर, अत्यधिक जनसंख्या और बेरोजगारी से ग्रस्त है, जो देश के विकास को बाधित करता है। भारत में अभी भी लैंगिक और जातिगत भेदभाव है, जो वृद्धि और विकास को बाधित करता है। (i) लोकतंत्र की स्थापना : विश्व के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इस हिस्से के देशों में गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को हटाने तथा एक संप्रभु तथा सक्षम, शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती महत्त्वपूर्ण है।

(ii) लोकतंत्र का विकास एवं विस्तार : जिन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ लोकतंत्र के विकास एवं विस्तार का प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामने स्थानीय सरकारों को अधिकार संपन्न बनाने, संघ के सिद्धांतों को

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 3, May 2022 |

व्यावहारिक स्तर पर लागू करने, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी को सुनिश्चित करने आदि जैसी चुनौतियाँ हैं।[1]

(iii) लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुधारना तथा मजबूत बनाना : विश्व में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसके सामने लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्त्वपूर्ण चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना तथा मजबूत करना है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। (iv) भ्रष्टाचार, वंशवाद, कट्टरवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति से लोकतंत्र की रक्षा : कई देशों के अपार जन-समर्थन के कारण शासक वर्ग भ्रष्टाचार, कट्टरवाद, वंशवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। एक सफल लोकतंत्र को इनसे बचना आवश्यक है। हाल ही में भारत ने अपना 72वा गणतंत्र दिवश मनाया है। परन्तु दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के अराजकता ने देश के लोकतंत्र को चुनौतियाँ भी दी हैं।

यद्यपि प्राचीन भारतके वैदिक काल में सभा ,समिति तथा विदथ जैसी संस्थाओ तथा कुछ गणराज्यो की उपस्थिति से लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं परन्तु लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप को स्थिर करने में चार क्रांतियों, 1688 की इंगलैंड की रक्तहीन क्रांति, 1776 की अमरीकी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति की भूमिका प्रबल रही। इंगलैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने यह निश्चय कर दिया कि प्रशासकीय नीति एवम् राज्य विधियों की पृष्ठभूमि में संसद् की स्वीकृति होनी चाहिए। वर्षो के उपनिवेशिक शासन के उपरान्त भारत ने भी संसदीय लोकतंत्र को स्वीकारा है।

अंग्रेजी में लोकतंत्र शब्द को डेमोक्रेसी (Democracy) कहते है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द 'डेमोस' तथा क्रेशिया से हुई है डेमोस का अर्थ है 'जन साधारण' और क्रेसी का अर्थ है 'शासन' , इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ जनता के शासन से है।[2]

लोकतंत्र का दार्शनिक आधार

- व्यक्ति की व्यवस्था की इकाई मानना
- व्यक्ति की गरिमा में विश्वास
- स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करना
- समाज में विशेषाधिकारों का समापन
- मानवीकृत विभेदन से प्रतिषेध
- सीमित तथा संवैधानिक शासन
- भगीदारीपरक शासन
- उत्तरदायी शासन
- नियमित चुनाव

विचार-विमर्श

भारत में लोकतंत्र की यात्रा

- भारतीय संविधान निर्माताओं में से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 'लोकतंत्र का अर्थ है, एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज-जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं।'26 जनवरी 1950 को उपरोक्त वर्णित सिद्धांतो की प्राप्ति के लिए भारत में लोकतंत्र की विधिवत स्थापना हुई।[3]
- भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें विविधता में एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय संस्कृति इस विषय में अन्य संस्कृतियों से भिन्न है कि अभी भी भारत अपनी प्राचीनतम परम्पराओ को संजोने के साथ उसमे नवीनता भी लाता है । आजादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है।
- भारत दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार देकर राजनैतिक न्याय स्थापित कर दिया । अमेरिका ,ब्रिटेन जैसे कई लोकतंत्र जिन्होंने राजनैतिक न्याय की स्थापना में वर्षो का समय लगाया है।
- तंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की कुंजी है क्योंकि चुनाव ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपनी सम्प्रभुता का हस्तातन्तरण करती है ।भारत अपनी चुनाव प्रणाली पर निश्चित रूप से गर्व कर सकता है। निष्पक्ष

निर्वाचन आयोग की कार्यकुशलता से भारत में सत्ता का समयबद्ध और निर्बाध हस्तांतरण हुआ जबकि भारत के साथ ही स्वतंत्र कई देशो में तानाशाही तथा सैन्य शासन भी लागू हो गया।[5]

- आज तक भारत में मात्र एक बार आपातकाल का प्रयोग हुआ जिसमे जनता ने यह महसूस किया की सरकार द्वारा लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है तब भारत की इसी जनता ने आपातकाल का जवाब दिया तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी।
- भारत के न्यायलय ने कई बार मूलाधिकारों की रक्षा के लिए संसदीय कानूनों तथा कार्यपालिकीय आदेशों को अवैध घोषित कर देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कर लोकतान्त्रिक तत्वार्थ को जीवित रखा है।

भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ :-

यद्यपि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने कई आयामों को प्राप्त किया है परन्तु 26 जनवरी 2021 को लालकिले पर होने वाली अराजक घटनाओ ने यह स्पष्ट किया कि भारत में लोकतंत्र के सम्मुख अभी कई चुनौतियाँ हैं[7]

- राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए उसका आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक लोकतंत्र से गठबंधन आवश्यक है। आर्थिक लोकंतत्र का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने विकास की समान भौतिक सुविधाएँ मिलें। लोगों के बीच आर्थिक विषमता अधिक न हो और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके। एक ओर घोर निर्धनता तथा दूसरी ओर विपुल संपन्नता के वातावरण में लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है।वहीँ सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि सामाजिक स्तर पर विशेषाधिकारों का आभाव हो। परन्तु भारत में अभी भी ये दोनों ही स्थापित नहीं हो सके हैं। हमारे देश की 1 % अमीरो के पास देश की 85 % से अधिक संपत्ति है देश के 63 अरबपतियों की कुल संपत्ति राष्ट्रीय बजट के बराबर है। इस असमानता के साथ ही देश लैंगिक ,जातीय ,धार्मिक भेदभाव वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना को रोकता है।
- राजनीति का अपराधीकरण तथा चुनाव में धनबल का प्रयोग भारतीय चुनावो की बड़ी समस्या रही है। मौजूदा लोकसभा में 200 से अधिक ऐसे सांसद हैं जिनपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही देश में गरीबी ,भ्रष्टाचार चालबाजियों ने लोगों के दैनिक जीवन में निराशा का प्रसार करते हुए चुनाव व्यवस्था को प्रभावित किया है। बाहुबल, धनबल, के बढ़ते हुए महत्त्व, राजनीतिक जीवन में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार के प्रभाव ने राजनीतिक परिदृश्य को विषाक्त कर दिया है !
- भारत की कठिन , दूरूह तथा लम्बी न्यायिक प्रक्रिया ने देश में न्याय में बिलम्ब की स्थिति ला दी है। कई बार कुशासन के कारण न्याय की निष्पक्षता स्वयं कटघरे में आ गई है। न्याय में देरी कई बार अन्याय के समान हो जाती है। हमारे न्यायपालिका में लगभग 3 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं।
- उपनिवेशिक विरासत से आई सिविल सेवा तथा पुलिस सेवा स्वयं को स्वामी मानती है जबकि लोकतंत्र में इन दोनों को सेवा प्रदाता समझा जाता है
- इसके साथ ही पितृसत्ता , खाप पंचायत जैसी अवधारणाओं ने देश में लोकतंत्र को कमजोर किया है। यह भी एक चिंता है कि भारत में समूह की प्राथमिक इकाई परिवार तथा समाज दोनों ही लोकतान्त्रिक नहीं रह गए हैं।

यह सत्य है कि भारत ने महान लोकतान्त्रिक उपलब्धियों को हासिल किया है परन्तु स्वतंत्रता के उपरांत जिन उच्च आदर्शों की स्थापना हमें इस देश व समाज में करनी चाहिए थी, हम आज ठीक उनकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं और भ्रष्टाचार, दहेज, मानवीय घृणा, हिंसा, अश्लीलता और बलात्कार जैसी समस्या अब जीवन का भाग बनती जा रही हैं। परन्तु हमारा देश प्राचीन काल से ही कई समस्यो को हल करता आगे बढ़ रहा है वर्तमान में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ऐसे में युवाओ को अपनी भागीदारी बढ़ाकार देश ,समाज तथा परिवार को लोकतंत्रिक करना होगा।[8]

परिणाम

लोकतंत्र की कमियों और विफलताओं को दूर करने का समाधान वास्तव में अधिक लोकतंत्र है: उपराष्ट्रपति नेवारसॉ विश्वविद्यालय में 'भारतीय लोकतंत्र के सात दशक' विषय पर व्याख्यान दिया भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी ने कहा है कि लोकतंत्र की कमियों और विफलताओं को दूर करने का समाधान वास्तव में अधिक लोकतंत्र है। वह आज पोलैंड के वारसॉ विश्वविद्यालय में 'भारतीय लोकतंत्र के सात दशक' विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वारसॉ विश्वविद्यालय के रेक्टर, प्रोफेसर मार्सिन पाल्सी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।[33]

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लोगहमारे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सर्वोत्तम गारंटी हैं। जब तक आम भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों और समन्वयवाद की सांस्कृतिक प्रथाओं को सच मानता है, जब तक हमारे लोग अपने अधिकारों के हनन के प्रति प्रतिरोधी

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 3, May 2022 |

होते हैं और सांप्रदायिक और सांप्रदायिक विचारों के आगे नहीं झुकते, तब तक बड़ी उम्मीद बनी रहती है कि हमारा लोकतंत्र जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ें और दूसरों को प्रेरित करें।

उपराष्ट्रपति के व्याख्यान का पाठ निम्नलिखित है :[9]

" एक भारतीय, हाल के और हाल के अतीत के बारे में कुछ जागरूकता के साथ, इतिहास के उतार-चढ़ाव की गहरी समझ के साथ वारसॉ आता है। भौगोलिक चौराहे पर स्थित होने का दुर्भाग्य होने के कारण, पोलैंड की सीमाएं सदियों से बढ़ती और घटती रही हैं, क्षेत्रीय इतिहास की ताकतों से प्रभावित।

16 वीं सदी की शुरुआत और मध्य में , पोलैंड एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य था, जहां केवल पड़ोसी साम्राज्यों द्वारा हस्तक्षेप और विभाजन हुआ। इसलिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बहाली के लिए पोलिश संघर्ष सराहनीय है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक आगंतुक उस गणतंत्र में परिलक्षित अदम्य पोलिश भावना को सलाम करता है जिसने खुद को "अपने सभी नागरिकों के सामान्य हित के लिए" समर्पित कर दिया है । अपने अधिकारों को "हमेशा के लिए" सुनिश्चित करने के इच्छुक ।

मैं इस ऐतिहासिक शहर में आकर खुश हूं और आपको संबोधित करने के आपके निमंत्रण से अभिभूत महसूस कर रहा हूं। इस अवधारणा के प्रति आपके अपने लगाव को देखते हुए, मैं आपके साथ लोकतंत्र के साथ हमारे अनुभवों पर कुछ विचार साझा करने और इसके (ए) सिद्धांतों, (बी) तंत्र, और (सी) समय-समय पर उभरी चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करता हूं।[10]

लगभग तीन दशक पहले एक प्रख्यात समाजशास्त्री ने भारतीय लोकतंत्र को "आधुनिक दुनिया का एक धर्मनिरपेक्ष चमत्कार और अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल" कहा था । आजादी के सात दशक बाद भी, भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार उन लोगों के लिए आशा की किरण की तरह चमक रहा है जो बुनियादी मानवीय मूल्यों की नींव के साथ आजादी को संजोते हैं।[32]

भारत ने लंबे समय से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है - जो उन लोगों द्वारा लगभग विहित निश्चितता के साथ रखा गया है जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं - जो आर्थिक विकास के निम्न स्तर, असमानता के उच्च स्तर और सामाजिक विविधता के उच्च स्तर पर अस्थिर लोकतांत्रिक राजनीति की भविष्यवाणी करता है। हालाँकि, जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए "यह कल्पना करना कठिन था कि यदि भारत की बहुसांस्कृतिक विविधता को एक स्थायी एकल राज्य के रूप में संगठित किया जाना था, तो इसे एक लोकतांत्रिक राजनीति के अलावा किसी और चीज़ के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता था ।"

यह सत्य है कि प्रत्येक देश और लोग अपने ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर अपने अनूठे तरीके से अपने भाग्य को आकार देते हैं। हमारे मामले में, यह कम से कम पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस लंबी 'तर्कपूर्ण परंपरा' और विधर्मवाद को सहन करने ने हमारे लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की है।[11]

समसामयिक अर्थ में, स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक चेतना औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष की विरासत का प्रतिबिंब है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश लाभ हमारे संविधान में निहित हैं और भारत में राजनीतिक और न्यायिक प्रवचन को प्रबुद्ध करते रहे हैं। हमारे लोगों ने इस विरासत को सरकारों, राजनीतिक दलों और संस्थानों के आगामी प्रदर्शन को परखने के पैमाने के रूप में इस्तेमाल किया है।

हमारा संविधान अर्ध-संघीय ढांचे में द्विसदनीय संसदीय लोकतंत्र की रूपरेखा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य संवैधानिक संस्थानों और कानून के शासन के सिद्धांत का उपयोग करके सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से एक समतापूर्ण समाज प्राप्त करना है।[12]

संविधान ने सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस समय प्रदान किया जब कई पुराने लोकतंत्रों में इसे स्वीकार भी नहीं किया गया था। यह अधिकारों और कर्तव्यों का एक चार्टर घोषित करता है। यह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति के लिए कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। यह संघ और राज्य विधानमंडलों के विधायी क्षेत्राधिकार का भी वर्णन करता है।[31]

इस प्रकार, यह संविधान के माध्यम से है कि ' व्यक्तियों और समूहों का एक विविध संग्रह एक ही पुस्तक के लोग बन गए, जो उनके पारस्परिक अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जो एक सामूहिक पहचान को स्पष्ट करता है।'[13]

पिछली सदी के एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक ने अगस्त 1950 में प्रकाशित अपनी आखिरी किताब के पहले पन्ने पर भारत के संविधान की प्रस्तावना को रखा था क्योंकि, जैसा कि उन्होंने लिखा था, इसमें 'अधिकांश के तर्क को संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में बताया गया है । किताब।'

संवैधानिक तंत्र ने लोकतांत्रिक स्वरूप को बरकरार रखा है। समय-समय पर होने वाले चुनाव, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग और न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्तियों वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका ने लोकतंत्र की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद की है।

भारत में चुनावों के संचालन की भयावहता किसी भी संस्थागत ढांचे के लिए एक चुनौती है। पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था जब मतदाताओं की संख्या 173 मिलियन थी। 2014 में 16वें आम चुनाव में कुल 814.4 मिलियन मतदाता थे, जिनमें से 66 प्रतिशत ने लगभग 464 विभिन्न राजनीतिक दलों के 8251 उम्मीदवारों में से संसद के निचले सदन के लिए 543 सदस्यों को चुनने के लिए अपना वोट डाला। चुनाव 930,000 मतदान केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से आयोजित किया गया था। विभिन्न चुनावी कर्तव्यों के लिए 6 मिलियन से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया था। इसे लोकतंत्र में अब तक की सबसे बड़ी कवायद कहा गया है।

हमारे संघीय ढांचे को देखते हुए, राज्य विधान सभाओं के लिए समय-समय पर चुनाव होते रहते हैं, जो एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से, केंद्रीय संसद के राज्यों की परिषद के सदस्यों का भी चुनाव करते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में, समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

1992 में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से ग्राम परिषदों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को अनिवार्य प्रतिनिधित्व दिया गया था। राज्य विधानसभाओं और केंद्रीय संसद में इसी तरह का कदम अभी उठाया जाना बाकी है।[30]

सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंडों और प्रथाओं के अनुरूप, भारतीय लोकतंत्र सफल रहा है और लोकतांत्रिक चेतना हमारी जनता के मानस में व्याप्त हो गई है।[15]

सभी लोकतंत्रों में सामाजिक बाधाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं, राज्य सुरक्षा की अनिवार्यताओं और नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ-साथ भिन्न-भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोणों के बीच तनाव होता है। हमारे मामले में सामाजिक न्याय, विविधता की स्वीकृति और कार्यान्वयन, और सामाजिक कलह की रोकथाम और सुधार, बारहमासी चुनौतियां बनी हुई हैं।

भारत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्तियों के साथ विशाल विविधता वाला एक बहुल समाज है। इसमें लगभग उतने ही जातीय समूह हैं जितने पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में हैं। संविधान 22 भाषाओं और सौ से अधिक बोलियों को मान्यता देता है। मुद्रा इकाइयों का मूल्य 17 विभिन्न लिपियों में लिखा जाता है। हमारे नागरिक निकाय में विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी मौजूद हैं। हमारे लोगों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 19.4 प्रतिशत है।[30]

सामाजिक कलह पर काबू पाना एक बार-बार आने वाली चुनौती बनी हुई है। हमारे समाज के सभी वर्ग, आस्था की परवाह किए बिना, अतीत में गहरी जड़ों के साथ सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में विभाजित हैं। ऐसी विविधता में - क्षेत्रीय, सामाजिक, भाषाई और धार्मिक - तनाव अपरिहार्य हैं, और कभी-कभी वे संघर्ष में बदल जाते हैं।[17] ये अक्सर स्थानीय और क्षणभंगुर होते हैं और वही कथित लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो इन्हें उत्पन्न करती है, समाधान में भी काफी हद तक मदद करती है। सार्वजनिक जागरूकता, चरमपंथी रुख से बचना और प्रशासन द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई इस प्रक्रिया में सहायता करती है; किसी भी कारण से इनका अभाव, उन्हें उत्तेजित करता है और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाता है।[18]

भारत में लोकतंत्र ने समानता और सामाजिक समावेशन को अपने उद्देश्यों में से एक माना है। लोकतंत्र की संस्थाओं ने एक माध्यम के रूप में कार्य किया है जिसके द्वारा समुदाय और लोग अपनी गरिमा पर जोर देते हैं और सामाजिक और आर्थिक समानता की मांग करते हैं।

लोकतंत्र सामाजिक सशक्तिकरण का अग्रदूत भी रहा है। संस्थागत खुली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की प्रणाली के परिणामस्वरूप, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे वर्गों को सामाजिक यथास्थिति को चुनौती देने के लिए संगठित किया गया है। इस लामबंदी के परिणामस्वरूप भारतीय लोकतंत्र में काफी गहराई आई है।

भारत में लोकतंत्र का स्थानिक विस्तार भी हुआ है। स्वतंत्रता के समय और हाल ही में 7वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के दौरान एक संघीय राजनीतिक संरचना प्रक्रिया ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के समायोजन को सुनिश्चित करने में मदद की है। इस संशोधन

के बाद, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ, या जिन्हें हम पंचायती राज संस्थाएँ कहते हैं, सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने विकेन्द्रीकृत योजना का नेतृत्व किया है, और "लोगों के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नए क्षेत्र" बनाए हैं ।

हमारे लोकतांत्रिक ढांचे ने सहयोगी सक्रियता के लिए आवश्यक स्थान प्रदान किया है, और एक उदार चक्र में, नागरिक समाज के विकास ने भी भारत की लोकतांत्रिक मजबूती में योगदान दिया है और राज्य के साथ जीवंत नागरिक जुड़ाव के एक आदर्श को मजबूत किया है। हाल के दिनों में भारत द्वारा अपनाए गए दो सबसे उदार और सशक्त कानून - नागरिकों को सूचना का अधिकार और मुफ्त बुनियादी शिक्षा का अधिकार - दोनों का नेतृत्व भारत में नागरिक समाज संगठनों ने किया था।[29]

लोकतंत्र का संचालन यह भी सुनिश्चित करता है कि हमारे पास वित्तीय समावेशन योजनाएं हैं, और हम शिक्षा, सामाजिक स्वास्थ्य और बीमा कार्यक्रमों को सार्वभौमिक बना रहे हैं। हम अपनी कृषि, विनिर्माण और सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और डिजिटल लेनदेन को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानव विकास सूचकांक, जो अभी तक मामूली है, बढ़ रहा है और केरल जैसे कुछ अधिक विकसित क्षेत्रों में, विकसित देशों के बराबर है।

उदारीकरण कार्यक्रम सहित नई आर्थिक नीतियों को लोकतांत्रिक और विचार-विमर्श वाले माहौल में बढ़ावा दिया गया। भारत अब अपनी ऊंची विकास दर का आदी हो रहा है। यह उल्लेखनीय है कि भारत की प्रमुख सफलता निर्यात के पारंपरिक क्षेत्रों में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर नए उद्योगों पर आई है, जिसमें उच्च तकनीक का एक बड़ा घटक शामिल है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जो एक बहुत ही मामूली शुरुआत से तेजी से विशाल बन गया है।[28]

ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स का है, जहां भारतीय प्रतिभा ने भारी कटौती की है - कभी-कभी एड्स की दवाओं जैसी कई आवश्यक दवाओं की कीमत में 80 प्रतिशत या उससे भी अधिक की कटौती की जाती है। इस तरह की वृद्धि ने हमें लाखों भारतीयों को घोर गरीबी से बाहर निकालने और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने में सक्षम बनाया है।[19]

भारत की जीडीपी अब लगभग 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो 1991 में लगभग 273 बिलियन डॉलर थी, जो लगभग नौ गुना अधिक है। इसी अवधि में हमारी प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में लगभग 15 गुना और स्थिर मूल्यों के संदर्भ में 12 गुना बढ़ गई। बढ़ता भारतीय मध्यम वर्ग अब वैश्विक महत्व का बाजार है। सामान्य वैश्विक मंदी के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2017 रिपोर्ट का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 में 7.7 प्रतिशत और 2018 में 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, मजबूत निजी खपत से लाभ होगा, जिससे यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

जबकि आर्थिक विकास का शुद्ध प्रभाव एक औसत भारतीय नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार रहा है, ये लाभ असमान रूप से वितरित किए गए हैं। और फिर भी, यह भारत में लोकतांत्रिक मजबूती का प्रमाण है कि बाजार-आधारित सुधारों से हारने वालों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को ही चुनौती नहीं दी है।

भारत के अपनी लोकतांत्रिक यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले, हमारे संस्थापकों ने यह समझ लिया था कि कहीं भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है। इसलिए, एक लोकतांत्रिक भारत अफ्रीका और अन्य एशियाई देशों के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है, जो औपनिवेशिक सत्ता की जंजीरों को उखाड़ फेंककर अपने भाग्य का प्रभार लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत एक मजबूत भागीदार बना रहा क्योंकि वे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता चाहते थे।

भारत लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों को न केवल देशों के भीतर मतभेदों को हल करने के साधन के रूप में देखता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक शासन के लोकतंत्रीकरण का भी समर्थन करता है। आज मानवता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो या उग्रवाद और आतंकवाद का बढ़ता ज्वार, उनके समाधान के लिए दुनिया के सभी देशों के बीच सहयोग और सहयोग की आवश्यकता है।[27]

भारत में, "कई असंतोषों को ठीक से प्रबंधित किया जा सकता है क्योंकि वहां एक लोकतांत्रिक ढांचा है" । पिछले 70 वर्षों में हमने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से लोकतंत्र पर काम किया है, अभी तक अपनी सर्वोत्तम क्षमता से नहीं। यह एक घटता हुआ क्षितिज है। लोकतंत्र का संचालन हमेशा प्रगति पर रहता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के बावजूद लोकतंत्र को गहरा और सुदृढ़ करने में अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।[20]

लोकतंत्र एक स्व-सुधार और आत्म-सुधार तंत्र है। लोकतंत्र की कमियों और विफलताओं को दूर करने का समाधान वास्तव में अधिक लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र काम करना बंद कर देता है, जब संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान नहीं होता है तो हिंसक अलगाववादी आंदोलन और धार्मिक संघर्ष सामने आते हैं। ऐसा तब होता है जब व्यवस्था समावेशी नहीं होती और लोगों को अपनी

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 3, May 2022 |

मांगें व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता; जब उनके अधिकारों को कुचला जाता है और बहुलवाद का गला घोंटा जाता है, तो वे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करते हैं।

बहुमत, चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, विपक्ष को अमान्य नहीं करता। सच्चे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान कैसे करता है, चाहे वे धार्मिक हों, या राजनीतिक, खासकर लोकलुभावन धाराओं के सामने। लोकतंत्र तभी फलता-फूलता है जब अलग-अलग आवाजों को आधिकारिक या लोकलुभावन प्रतिक्रिया के डर के बिना स्वतंत्र रूप से सुना जा सकता है।[21]

लोकतंत्र, अंततः, लोगों के बारे में है। भारत के लोग, जनता, हमारे लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सबसे अच्छी गारंटी हैं। जब तक आम भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों और समन्वयवाद की सांस्कृतिक प्रथाओं को सच मानता है, जब तक हमारे लोग अपने अधिकारों के हनन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं और सांप्रदायिक और सांप्रदायिक विचारों के आगे नहीं झुकते हैं, तब तक बड़ी उम्मीद बनी रहती है कि हमारा लोकतंत्र फलता-फूलता रहेगा और दूसरों को प्रेरित करता रहेगा।[22]

निष्कर्ष

यहाँ इस बात पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद से संबंधित भारतीय संवैधानिक सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं।[23] भारतीय लोकतंत्र अपनी प्रकति में एक विशाल सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाला एक विषम मॉडल है। यह और बात है कि भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप के संदर्भ में पश्चिमी राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि लोकतंत्र का भारतीय मॉडल लंबे समय तक कायम नहीं रह सकेगा।हालाँकि यह भारत के अपने संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता ही थी, जिसके कारण भारत न केवल एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहा, बल्कि नए स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधि के रूप में उभर कर भी सामने आया।[25]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. ओबेर, योशिय्याह (2005)। "डेमोक्रेटिक एथेंस एक प्रायोगिक प्रणाली के रूप में: इतिहास और राजनीतिक सिद्धांत की परियोजना" । रोचेस्टर, एनवाई। डीओआई : 10.2139/एसएसआरएन.1426841 । एस2सीआईडी 146975709 । एसएसआरएन 1426841 ।
2. ^ "लोकतंत्र - मरियम-वेबस्टर द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा" । 8 जून 2021.
3. ^ "संसद विधेयक" । api.parliament.uk । 11 नवंबर, 1947 । 22 अप्रैल, 2018 को लिया गया ।
4. ^ डाहल, रॉबर्ट ए. (1972)। बहुसत्ता: भागीदारी और विरोध । नया स्वर्ग, येल विश्वविद्यालय प्रेस। पृ. 1-16. आईएसबीएन 978-0300015652.
5. ^ मैनिन, बर्नार्ड (1997)। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत . कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 2 , 67-93, 132-160। आईएसबीएन 978-0521458917.
6. ^ थॉम हार्टमैन, " केलों को हटाने का समय...और हमारे गणतंत्र को लोकतंत्र में लौटाएं ", CommonDreams.org , 6 नवंबर 2002
7. ^ अर्नहार्ट, लैरी (1 जून, 2015)। "लियो स्ट्रॉस एंड एंग्लो-अमेरिकन डेमोक्रेसी: ए कंजर्वेटिव क्रिटिक, ग्रांट एन. हैवर्स द्वारा" । अमेरिकी राजनीतिक विचार . 4 (3): 513-516। डीओआई : 10.1086/682033 । आईएसएसएन 2161-1580 ।
8. ^ "लोकतंत्र और उसके आलोचक | येल यूनिवर्सिटी प्रेस" । yalebooks.yale.edu . 19 फरवरी, 2021 को लिया गया ।
9. ^ केचम, राल्फ एल. (1958)। "जेम्स मैडिसन और मनुष्य की प्रकृति" । विचारों के इतिहास का जर्नल । 19 (1): 62-76. डीओआई : 10.2307/2707952 । आईएसएसएन 0022-5037 . जेएसटीओआर 2707952 ।
10. ^ "जेम्स मैडिसन का जीवन" । www.montpelier.org . 21 फरवरी, 2021 को लिया गया ।
11. ^ ओबेर, जोशिया (1 जनवरी, 1993)। "थ्यूसीडाइड्स' लोकतांत्रिक ज्ञान की आलोचना" ।
12. ^ फुकुयामा, फ्रांसिस (1995)। "कन्फ्यूशीवाद और लोकतंत्र" । लोकतंत्र का जर्नल । 6 (2): 20-33. डीओआई : 10.1353/jod.1995.0029 । आईएसएसएन 1086-3214 . एस2सीआईडी 11344823 ।
13. ^ किलकुलन, जॉन; रॉबिन्सन, जोनाथन (2019), "मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन" , ज़ाल्टा में, एडवर्ड एन. (सं.), द स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी (विंटर 2019 संस्करण), मेटाफिजिक्स रिसर्च लैब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी , 19 फरवरी, 2021 को पुनः प्राप्त

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 5.379 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 9, Issue 3, May 2022 |

14. ^ सेन, अमर्त्य कुमार (1999)। "लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में" । लोकतंत्र का जर्नल । 10 (3): 3-17. डीओआई : 10.1353/jod.1999.0055 । आईएसएसएन 1086-3214 . एस2सीआईडी 54556373 ।
15. ^ मेलमेड, अब्राहम (1993)। "मध्यकालीन यहूदी दर्शन में लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण" । यहूदी राजनीतिक अध्ययन समीक्षा । 5 (1/2): 33-56. आईएसएसएन 0792-335एक्स । जेएसटीओआर 25834254 ।
16. ^ माजिद, अनौर (1995)। "क्या उत्तर औपनिवेशिक आलोचक बोल सकते हैं? प्राच्यवाद और रुश्दी मामला" । सांस्कृतिक आलोचना (32): 5-42। डीओआई : 10.2307/1354529 । आईएसएसएन 0882-4371 . जेएसटीओआर 1354529 ।
17. ^ डंकन, स्टीवर्ट (2021), "थॉमस हॉब्स" , ज़ाल्टा में, एडवर्ड एन. (सं.), द स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी (पतन 2021 संस्करण), मेटाफिजिक्स रिसर्च लैब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी , 20 फरवरी 2021 को पुनः प्राप्त
18. ^ एपर्ले, एलन (1999)। "हॉब्स ऑन डेमोक्रेसी" । राजनीति . 19 (3): 165-171. डीओआई : 10.1111/1467-9256.00101 । आईएसएसएन 1467-9256 । एस2सीआईडी 143030006 ।
19. ^ कोलमैन, फ्रैंक (12 जून, 2017)। हॉब्स और अमेरिका . टोरंटो विश्वविद्यालय प्रेस। डीओआई : 10.3138/9781442652989 । आईएसबीएन 978-1-4426-5298-9.
20. ^ लिपिंकॉट, बेंजामिन इवांस (1938)। लोकतंत्र के विक्टोरियन आलोचक । मिनेसोटा विश्वविद्यालय प्रेस। पी। 5.
21. ^ लिपिंकॉट, बेंजामिन इवांस (1938)। लोकतंत्र के विक्टोरियन आलोचक । मिनेसोटा विश्वविद्यालय प्रेस। पी। 257.
22. ^ जेम्स एल हाइलैंड। लोकतांत्रिक सिद्धांत: दार्शनिक नींव । मैनचेस्टर, इंग्लैंड, यूके; न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, यूएसए: मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस एनडी, 1995. पीपी. 247.
23. ^ ब्लैमिरेस, साइप्रियन (2006)। विश्व फासीवाद: एक ऐतिहासिक विश्वकोश । वॉल्यूम. 1. सांता बारबरा, कैलिफ़ोर्निया: एबीसी-सीएलआईओ, इंक. पी. 418. आईएसबीएन 9781576079409.
24. ^ ब्लैमिरेस, साइप्रियन (2006)। विश्व फासीवाद: एक ऐतिहासिक विश्वकोश । वॉल्यूम. 1. सांता बारबरा, कैलिफोर्निया: एबीसी-सीएलआईओ, इंक. पीपी. 418-419। आईएसबीएन 9781576079409.
25. ^ नीदरलैंड में सलाफ़ीवाद: विविधता और गतिशीलता (पीडीएफ) । जनरल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस (एआईवीडी) नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटरटेररिज्म (एनसीटीवी)। 2015. पी. 12.
26. ^ रिचबर्ग, कीथ (16 अक्टूबर 2008)। "सिर से सिर: अफ्रीकी लोकतंत्र" । बीबीसी समाचार । 28 अप्रैल 2014 को पुनःप्राप्त .
27. ^ डाउन्स, एंथोनी (अप्रैल 1957)। "लोकतंत्र में राजनीतिक कार्रवाई का एक आर्थिक सिद्धांत"। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जर्नल । 65 (2): 135-150. डीओआई : 10.1086/257897 । जेएसटीओआर 1827369 । एस2सीआईडी 154363730 ।
28. ^ "कैसे भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर करता है" । ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल । ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल । 1 जनवरी, 2020 को पुनःप्राप्त .
29. ^ मैकमैन, केली एम.; सीम, ब्रिगिट; टेओरेल, जनवरी; लिंडबर्ग, स्टाफ़न (जुलाई 2019)। "क्यों लोकतंत्र के निम्न स्तर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और उच्च स्तर इसे कम करते हैं"। ऋषि . 73 (4): 1. डीओआई : 10.1177/1065912919862054 । एस2सीआईडी 203150460 ।
30. ^ वार्ड, नॉर्मन (फरवरी 1949)। "चुनावी भ्रष्टाचार और विवादास्पद चुनाव"। कैनेडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस । 15 (1): 74-86. डीओआई : 10.2307/137956 । जेएसटीओआर 137956 ।
31. ^ "प्लेटो | लोकतंत्र की आलोचना | गैलेरिस्ट" । 23 जनवरी 2021.
32. ^ एरो, केनेथ जे.; लिंड, रॉबर्ट सी. (जून 1970)। "अनिश्चितता और सार्वजनिक निवेश निर्णयों का मूल्यांकन"। अमेरिकी आर्थिक समीक्षा . 60 (3): 364-378. जेएसटीओआर 1817987 ।
33. ^ ब्रेनन, जेसन, 1979- (6 सितंबर, 2016)। लोकतंत्र के ख़िलाफ़ . प्रिंसटन। आईएसबीएन 978-0-691-16260-7. ओसीएलसी 942707357 ।